क्रम-संख्या–121

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 25 मार्च, 2026

चैत्र 4, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

————————

संख्या 86 / 79-वि-1–2026-2-क-5-2026

लखनऊ, 25 मार्च, 2026

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2026), जिससे न्याय अनुभाग–8 (लेखा) प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन 1976 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (8) में,–

(क) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थातः–

परन्तु यह कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य निम्नलिखित आयु प्राप्त कर लेने के बाद उस पद पर नहीं रहेगाः–

(क) अध्यक्ष के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु; और

(ख) उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु

(ख) उपधारा (8–ग) के पश्चात,निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः–

''(8–घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर पद धारण करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों पर भी लागू होंगे।''

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 86(2)/LXXIX-V-1–2026-2-ka-5-2026
Dated Lucknow, March 25, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2026) promulgated by the Governor. Nyay Anubhag-8 (Lekha) is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2026)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-seventh Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2026.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

Amendment of Section 3 of U.P. Act no. 17 of 1976

2. In sub-section (8) of the Section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976,-

(a) *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :-

"Provided that no Chairman, Vice-Chairman or Member shall hold office as such after he has attained,-

(a) in the case of Chairman, the age of sixty-seven years; and

(b) in the case of Vice-Chairman or Member, the age of sixty-five years.";

(b) *after* sub-section (8-c), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(8-d) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2026 shall apply also to the Chairman, Vice-Chairman and Members holding office on the commencement of the said Ordinance.".

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 491 राजपत्र–2026–(1415)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 188 सा0 विधायी–2026–(1416)–70+230=300 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।